कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत गोविन्दगढ जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कमांकः– 2910 दिनांकः– 30/11/18

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
सीएम हैल्प लाईन(181)
राजस्थान सरकार।

विषयः– परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 04/209 चित्रकुट, वैशालीनगर, जयपुर के संबंध में।

प्रसंगः– राज0 सम्पर्क पोर्टल नं 11180674716113 दिनांक 26.11.2018 की पालना में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 04/209 चित्रकुट, वैशालीनगर, जयपुर की जांच थानाधिकारी थाना कालाडेरा जिला जयपुर से करवाई जाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। दौराने जांच प्राप्त परिवाद के संदर्भ में परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार से कथनों के लिए जरिये फोन वार्ता की गई तो बताया गया कि आपके पास रिपोर्ट व अखबार की कटिंग भेज दी है, आप इस संबंध में जांच कर लो, परिवादी को जांच बयान में बुलाया गया तो परिवाद ने कोई सकारात्मक सहयोग नहीं किया एवं कहा कि मैं तो अखबार कटिंग के आधार पर ही जांच चाहता हूं। प्रस्तुत परिवाद में उल्लेखित घटनाक्रम के संबंध में थाना कालाडेरा पर प्रकरण संख्या 232/18 धारा 306 भा.द.सं. में पंजीबद्ध है।

प्रकरण हाजा में दौराने अनुसंधान आरोपीगण 01.श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति बागडा ब्राहम्ण उम्र 46 साल निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर। 02.श्री कालूराम पुत्र श्री हनुमान जाति मीणा उम्र 55 साल निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर।03.श्री महेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति मीणा उम्र 27साल निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर। 04.श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर। 05.श्री मालीराम पुत्र श्री मोहन लाल जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर। 06.श्री अजय उर्फ मोतीलाल पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति मीणा उम्र 20 निवासी पोखरसा का बासं थाना कालाडेरा जिला जयपुर। 07. श्री राहुल उर्फ विजय चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल जाति जाट उम्र 20 साल निवासी रामगट्टा थाना कालाडेरा जिला जयपुर तलब कर प्रकरण हाजा में तफ्तीश व पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये तो प्रकरण हाजा में अब तक की तकमील तफ्तीश एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पूछताछ से उपरोक्त आरोपीगणों के खिलाफ जुर्म धारा 306 ता.हि. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगणों को जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर जरिये फर्द पृथक–पृथक गिर0 किया जाकर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायिक हिरासत में चल रहे है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। परिवाद की समय अवधि में प्रकरण का निस्तारण करना संभव नही है। रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हे।

पुलिस उप अधीक्षक
वृत गोविन्दगढ
जिला जयपुर ग्रामीण।

Scanned by CamScanner